



INDIA NON JUDICIAL

₹ 2000.

RS 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES



न्यास विलेख पत्र (द्रस्ट डीड)

- यह न्यास विलेख पत्र आज दिनांक 23 अगस्त 2006 को श्री हरीशचन्द्र पाण्डेय (उमेर 54 वर्ष) पुत्र स्वर्ग श्री दुर्गादत्त पाण्डेय निवासी वार्ड नं. 6, पीलीभीत रोड, खटीमा, जनपद- ऊधमसिंह नगर (उत्तरांचल) जिन्हें यहाँ संस्थापक निवेशित किया गया है, द्वारा तैयार किया गया है।
- अतएव नवगठित राज्य उत्तरांचल में शिक्षा के उन्नयन, धर्मार्थ कार्यों व अन्य ऐसी नीतियां चलाने हेतु जिनसे समाज में ज्ञान का प्रकाश फैले, इन सभी उद्देश्यों की प्रतिष्ठानी हेतु संस्थापक एक सुख्यवस्थित संस्थान की स्थापना के लिए एक वैरिटेबल द्रस्ट वरी रस्यापना के इच्छुक हैं। हमारे शास्त्रों में ज्ञान को परिशोधक कहा गया है जो कि हमारे महिलाओं को शुद्ध कर उसमें सादृविचारों का समावेश करता है। अतएव इस द्रस्ट का सर्वप्रथम उद्देश्य है कि समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण आदि भेदभाव के शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो तथा समग्र व्यवितात्व के विकास के लिए नीतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के संबर्द्धन हेतु व्यान व योग का समावेश भी हो। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थापक न्यास को मुख्लिक 50000/- पचास हजार रुपये न्यास में निवेश हेतु दे रहे हैं। अतएव यहाँ नीचे दिये गये न्यासी, न्यासी के रूप में संस्थापक के साथ न्यास के संचालन एवं प्रबन्धन के लिए सहमत हैं।
- वर्तमान में संस्थापक सहित द्रस्ट में कुल पाँच द्रस्टीज हैं। जिनके नाम पता तथा पद इस प्रकार हैं।

क्र.स. नाम व पिता का नाम	आयु	पता	पद
1. श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्वर्ग श्री दुर्गादत्त पाण्डेय	54 वर्ष	वार्ड नं. 6, पीलीभीत रोड, खटीमा, जिला-ऊधमसिंह नगर	अध्यक्ष
2. श्रीमती उमिला पाण्डेय पत्नी श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	47 वर्ष	वार्ड नं. 6, पीलीभीत रोड खटीमा, जिला-ऊधमसिंह नगर	उपाध्यक्षा
3. श्री लिनेय पाण्डेय पुत्र श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	24 वर्ष	वार्ड नं. 6, पीलीभीत रोड खटीमा, जिला-ऊधमसिंह नगर	महासचिव
4. श्री परमानन्द शर्मा पुत्र स्वर्ग श्री शिवदत्त शर्मा	38 वर्ष	आवास विकास, खटीमा, जिला-ऊधमसिंह नगर	कोषाध्यक्ष
5. श्री विक्रम पाण्डेय पुत्र श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	20 वर्ष	वार्ड नं. 6, पीलीभीत रोड खटीमा, ऊधमसिंह नगर	सचिव

2. उमिला पाण्डेय

4.

5.

INDIA NON JUDICIAL

₹ 2000.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-2-

इस कथन में पक्षकारों के क्रमशः प्रबन्धकर्ता, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी तथा इच्छा पत्र के उत्तर साधक शामिल होंगे।

यह न्यास विलेख पत्र निम्न प्रकार से साक्षात्कृत किया जाता है।

4. नाम एवं पंजीकृत कार्यालय—

न्यास का नाम— “दिव्य एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट” होगा।

पंजीकृत कार्यालय— कुर्माचल कालोनी (शिक्षा भारती इण्टर कालेज, परिसर) खटीमा ऊधमसिंह नगर।

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्यालय अन्य किसी स्थान पर (शाखाएँ/शाखा व उनके जिन पर ट्रस्टीज समय-समय पर सहमत हों) खोलें अथवा बन्द किए जा सकते हैं। परन्तु इन सभी कार्यालय/कार्यालयों को फेवल मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत ही खोला जा सकेगा। मुख्य कार्यालय भी ट्रस्टीज की सहमति से अन्य किसी अच्छे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

5. न्यास का कोष— ट्रस्ट की स्थापना हेतु उपरोक्त कथित धनराशि 50000/- रुपये न्यास का कोष होगा जिस पर व अन्य प्राप्त होने वाले दान पर न्यासियों (ट्रस्टीज) का नियंत्रण होगा। संस्थापक द्वारा ट्रस्ट की स्थापना हेतु दिये गए धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक ट्रस्टीज को कुल 11000/- रु० (प्यारह हजार रुपये) ट्रस्ट की स्थापना हेतु न्यासकोष में जमा करने होंगे। न्यासकोष की बड़ोत्तरी हेतु ट्रस्टीज द्वयं अथवा अन्य किन्हीं व्यक्तियों से, चाहे वह व्यक्तिगत, संयुक्त परिवार, कम्पनी, मागीदारी अथवा अन्य किसी प्रकार के संगठन से भेट, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्राप्त रकम कोष अथवा आय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए दान-दाताओं की इच्छानुसार मानी जायेगी। ट्रस्ट समय-समय पर अन्य चैरिटी समारोहों, उत्सवों तथा अन्य आयोजनों द्वारा धन प्राप्त कर सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर वैक, वित्तीय संस्थान, गैर सरकारी

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

राष्ट्रीय नियम

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

-3-

संगठन (एनो जी० ओ०), सरकारी मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकेगी जिसका उपयोग द्रस्टीज द्वारा केवल यहाँ नीचे दिये गये द्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उचित किया जायेगा।

6. उद्देश्य-

1. समाज में शिक्षा के प्रचार/प्रसार हेतु कार्य जैसे विद्यालय/विद्यालयों, छात्रावासों व पुस्तकालयों का निर्माण व उनमें शिक्षा का समुचित प्रबन्ध।
2. प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल शिक्षा तथा अन्य दोजगार जनक एवं दोजगारपत्रक शिक्षा का प्रसार।
3. समाज के गरीब व असाधारण व्यक्तियों के लिए विकित्सालय, कुछालय, औषधालय, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, पियाऊ आदि का निर्माण तथा उसका प्रबन्धन करना।
4. सामान्य जनसमुदाय के लाभ हेतु कार्य करना।
5. आवश्यकता होने पर शिक्षा के उन्नयन हेतु कमज़ोर छात्रों हेतु कोचिंग संस्थान चलाना।
6. इको एवं पर्यावरण से संबंधित योजनाएं बनाना तथा तदनुसार प्रबन्धन करना।
7. कृषि वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु कार्य योजना बनाना तथा कार्य करना।
8. सेलकूद का मैदान, तरणताल (ल्हीमिंगपूल) आदि का प्रबन्ध करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रस्ट का नियत कर्तव्य व उत्तरदायित्व इस प्रकार है।

1. यह निश्चित करना कि विद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान को उपित मूर्मि, विल्डिंग, इक्युपमैन्ट, फर्नीचर व बचालिफाइड स्टाफ जो कि बोर्ड/विश्वविद्यालय के सिद्धान्तानुसार हो, प्राप्त हो।



उत्तरांचल UTTARANCHAL

228546

-4-

2. यह निश्चित करना कि विद्यालय या अन्य संस्थान/शिक्षण संस्थान जन समुदाय की सेवा के लिए चलाये जा रहे हैं कि द्रष्टव्य की शिक्षण संस्थाओं का किसी अन्य रूप में व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ है।
 3. यह अभिनिश्चित करना कि द्रष्टव्य द्वारा स्थापित विद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों (फण्ड) विद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों पर या उनके विस्तार पर ही खर्च हो।
 4. द्रष्टव्य की शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाधार्य पर या उसकी स्वतंत्रता पर उस समय अंकुश लगाना जब वह प्रबन्धन द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के विरुद्ध कार्य करे व इसके अतिरिक्त उसके द्वारा द्रष्टव्य के पक्ष में किये गए कार्यों या द्रष्टव्य के पक्ष में किये गए निर्णयों का मीरिक अनुमोदन करना।
 5. द्रष्टव्य की प्रबन्धन समिति पर नियंत्रण व द्रष्टव्य की शिक्षण व अन्य संस्थाओं के लिए बजट, शुल्क व वार्षिक शुल्क को स्वीकृति देना।
 6. पूँजीगत रूचों जैसे कि भूमि, बिल्डिंग वान्स्ट्रक्शन, उसके विस्तारीकरण तथा शिक्षण व अन्य संस्थाओं के लिए मुख्य साधन सामग्री का उपार्जन या प्राप्ति पर नियंत्रण।
 7. द्रष्टव्य की संस्थाओं के लिए फण्ड एकत्रित करना चाहे वह आवर्ती या गैर आवर्ती प्रकृति के हों।
 8. द्रष्टव्य यह अभिनिश्चित करेगा कि द्रष्टव्य के अधीन चलने वाली सभी शिक्षण संस्थाएँ एजूकेशन एक्ट/एफीलिएशन सिद्धान्त के अनुसार चल रही हैं अथवा नहीं एवम् विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और इसके लिए आवश्यकतानुसार जरूरी उपाय किये गए हैं।
7. न्यासी (द्रष्टीज)-
- वर्तमान में द्रष्टव्य के कुल पाँच सदस्य होंगे इनकी संख्या घटाई अथवा बढ़ाई नहीं जायेगी। न ही कोई द्रष्टीज अपना पद किसी बाह्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा। ये द्रष्टीज आजीवन पदासीन रहेंगे व उनकी रिक्तता की स्थिति में (मृत्यु या त्यागपत्र देने पर) उनके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी या उनके किसी रक्त संबंधी

50 Rs.



उत्तरांचल UTTARANCHAL

228547

-5-

को ही पद हस्तान्तरित किया जायेगा। प्रत्येक द्रस्टी को अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नामित करना होगा एवं नामांकन के अमाव में उनके परिवार के सदस्यों वी आम राय से उनके स्थान पर किसी परिवार के सदस्य को द्रस्टी नियुक्त किया जायेगा तथा विवाद की टिक्किति में द्रस्ट की कार्यकारिणी का फैसला मान्य होगा।

8. सलाहकार समिति-

द्रस्ट की एक सलाहकार समिति होगी जिसमें अधिकतम 18 सदस्य होंगे। जिनके नाम द्रस्टीज द्वारा तय किये जायेंगे। सलाहकार समिति के लिये सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो कि समाज के समानित सदस्य हों/अभिभावक हों/समाज सुधारक हों/शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी, विद्वान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इन्हें द्रस्टीज द्वारा पुनः चुना जा सकेगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति-

द्रस्ट के सभी पांच द्रस्टीज को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दो सदस्य सलाहकार समिति से द्रस्टीयों द्वारा तीन वर्ष हेतु मनोनीत किए जायेंगे। इनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्यता के बोग्य नहीं होगा।

10. गठन-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात सितम्बर माह में किया जायेगा। जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने जायेंगे।

- | | |
|---------------|------|
| 1. अध्यक्ष | (एक) |
| 2. उपाध्यक्ष | (एक) |
| 3. महासचिव | (एक) |
| 4. कोषाध्यक्ष | (एक) |
| 5. सचिव | (एक) |



उत्तरांचल UTTARANCHAL

228549

-7-

7. द्रस्ट के कार्य सम्पादन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने हेतु समितियों/उपसमितियों/प्रबन्ध समितियों का गठन करना।
8. महासचिव द्वारा किये गए कार्यों की विवेचना करना तथा मंजूरी देना।
15. पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार-

1. अध्यक्ष-

प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता करना व आवश्यकता पड़ने पर अपना मत (वोट) देना। विज्ञप्ति आकर्तिक सामर्थ्या या आर्थिक विषम परिस्थितियों में जहां द्रस्ट के संघायित्र को खतरा हो, ऐसी स्थिति में उन सभी जल्दी कार्यों को करने की स्वतंत्रता होगी, जो द्रस्ट की सुरक्षा एवं हित में हो। इसके लिये महासचिव की सहायता भी ली जायेगी। ऐसे कार्यों की रिपोर्ट जिसमें उसके द्वारा किए गए कार्यों को न्यायोचित दर्शाया गया हो, प्रबन्धकारिणी समिति को देनी होगी। द्रस्ट के लेखे-जोखे का निरीक्षण कर हस्ताक्षर करना तथा द्रष्टियों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना।

2. उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके सभी कार्य करेगा।

3. महासचिव-

1. द्रस्ट के शीक्षिक व अन्य कार्यवलायों पर प्रतिदिन नियंत्रण व निगरानी करना तथा कर्मचारियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
2. द्रस्ट/प्रबन्धकारिणी की तरफ से सभी प्रकार की दस्तीदों व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा पारित होने पर (संस्था के) कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन भल्तों का निर्धारण, बढ़ोतारी एवं उसके बकाया राशि को मंजूरी देना। इसके अतिरिक्त द्रस्ट व उसकी संस्थाओं को दी जानेवाली अन्य सेवाओं के भुगतान को मंजूरी देना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति के सहमति के उपरान्त उन सभी माप दण्डों को अपनाना जो द्रस्ट व उसकी संस्था के रक्षार्थ आवश्यक हों।
5. प्रबन्धकारिणी की सभा के लिए एजेंडा तैयार करना तथा बैठक की सूचना भेजना।



उत्तरांचल UTTARANCHAL

222707

-8-

6. अध्यक्ष की सहमति के पश्चात प्रबन्ध समिति की बैठक की प्रत्येक कार्यवाही को रिकार्ड करना व उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाना।
7. समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का निष्पादन करना।
4. कोषाध्यक्ष-
 1. प्रबन्धकारिणी समिति के अनुसार धन का व्यय करना तथा सभी प्राप्तियों को प्राप्त करना एवं उसका हिसाब रखना।
 2. प्रतिदिन ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों को लिखना व कैश बुक में प्रतिदिन हस्ताक्षर करना, माँगे जाने पर बैलेंस की स्थिति अध्यक्ष/महासचिव अथवा ट्रस्ट की बैठक में विवरण प्रस्तुत करना।
 3. ट्रस्ट के लेखों की आडिट में सहायता करना व वार्षिक दस्तावेज तैयार करना।
 4. कोषाध्यक्ष अपने पास प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा तक धनराशि रख सकेगा। शेष धनराशि उसे बैंक अथवा पब्लिक सेक्टर में प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशानुसार निवेशित करनी होगी।
- आलोक- कोषाध्यक्ष के अस्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने स्थिति में वह अपनी स्वेच्छा से विन्टी भी ट्रस्टी को अपना कार्यसम्पादन करने का दायित्व अस्थाई रूप से दे सकेगा लेकिन ऐसी अस्थाई व्यवस्था हेतु कम से कम तीन ट्रस्टियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
5. सचिव-

महासचिव की अनुपस्थिति में उसके सभी दायित्वों को देखना एवं उनको कार्यों में सहयोग करना।
16. लेखा पुस्तकों का रख-रखाव-
 1. ट्रस्ट व उनकी संस्था के एकाउन्ट द्वारा एकाउन्ट्स कोषाध्यक्ष की निगरानी में उचित तरीके से तैयार किए जायेंगे।
 2. एकाउन्ट्स की शुद्धता को प्रत्येक माह कोषाध्यक्ष द्वारा जाँचा व सत्यापित किया जायेगा।



उत्तरांचल UTTARANCHAL

228550

-9-

3. एकाउन्ट्स का किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा 31 मार्च के बाद आडिट किया जायेगा। आडिट रिपोर्ट वार्षिक साधारण समा (सलाहकार समिति) में पटल पर रखी जाएगी।
4. एकाउन्ट्स की जांच में द्रस्टीयों को सहयोग करना।
17. बैंक एकाउन्ट्स का संचालन—
बैंक एकाउन्ट्स किसी भी सेहत्यूल बैंक में खुलवाए जा सकेंगे जो कि कोषाध्यक्ष तथा महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित होंगे।
18. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन—
द्रस्ट के द्रस्टीज नियमों एवं विनियमों में आवश्यक परिवर्तन हेतु आयह कर सकते हैं। बशर्ते प्रबन्धकारिणी समिति के तीन चीधाई सदस्य(कम से कम चार द्रस्टी) इसके लिए सहमत हों।
19. विधिक कार्यवाही की जवाबदेही—
प्रत्येक विधिक कार्यवाही, चाहे वह द्रस्ट के पक्ष में हो या विलङ्घ हो, की जवाबदेही महासचिव की होगी।
आलोक— विशेष स्थिति में द्रस्टीज किसी द्रस्टी को सहयोग अथवा पैरवी हेतु नामित कर सकते हैं।
20. द्रस्ट के रिकार्ड एवं दस्तावेज—
द्रस्ट के प्रमुख दस्तावेज सदस्य पंजिका, कार्यवाही पंजिका, कार्यसूची पुस्तिका, एजेंडा बुक, कैश बुक व लेजर एवं अन्य पंजिकाएँ व पत्रावलियाँ जो कि द्रस्ट द्वारा आवश्यक समझे जाने के कारण बनायी गयी हो, होंगी।
21. द्रस्ट/संस्था का विघटन—
द्रस्ट के विघटन की स्थिति में इसके सभी ऋणों, देनदारियों, लेनदारियों की संतुष्टि के बाद ही किसी अन्य इच्छुक द्रस्ट/संस्था को दी जाएगी जिनके उद्देश्य इस द्रस्ट/संस्था के समान हो तथा यदि द्रस्ट के सभी द्रस्टीज इसके लिए लिखित रूप से सहमति व्यक्त करें।



228551

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-10-

22. उपरोक्त की पुस्ति में आज दिनांक 23 अगस्त 2006 को सांख्यापक सहित चार द्रूसीज न्यास विलेज पत्र (द्वितीय डीड) में हस्ताक्षर कर रहे हैं।

प्राप्त सं० न्यासी का नाम

1. श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय
2. श्रीमती उमिला पाण्डेय
3. श्री विनय पाण्डेय
4. श्री परमानन्द शर्मा
5. श्री विकास पाण्डेय

हस्ताक्षर

23.8.06

Uma Pandey

Vinay

Paramanand Sharma

Vikas

Chandrakant Sharm

गवाह नं.1 श्री हरीश चन्द्र भट्ट (एडवोकेट)
पुत्र श्री ध्रेम बल्लभ भट्ट
खटीमा, जनपद-ऊधमसिंह नगर

गवाह नं.2 श्री प्रकाश सिंह कन्याल
पुत्र श्री बलवन्ना सिंह कन्याल
खटीमा, ऊधमसिंह नगर

टाईप्ड वार्ड: श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री देवीदत्त शर्मा
खटीमा, ऊधमसिंह नगर

ट्राईप्ट वार्ड: एच.सी. ग्रैट "एडवोकेट"

वित्तारगंज जिला ऊधमसिंहनगर ।

H.C. Ghosh
Advocate

Sitarganj / Khatima